तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
16/12/24	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी / प्रतिवादी उपस्थित / अनु. पत्रावलियों की अधिकता के कारण आज इस प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही नहीं हो सकी। पत्रावली पुनः वास्ते दिनांक 18/12/24 को पेश हो।	
18/12/24	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी / प्रतिवादी उपस्थित / अनु. पत्रावलियों की अधिकता के कारण आज इस प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही नहीं हो सकी। पत्रावली पुनः वास्ते दिनांक 2/1/25 को पेश हो।	
2/1/25	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी / प्रतिवादी उपस्थित / अनु. पत्रावलियों की अधिकता के कारण आज इस प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही नहीं हो सकी। पत्रावली पुनः वास्ते दिनांक 7/1/25 को पेश हो।	
7/1/25	पत्रावली पेश हुई। बहस सुनी गयी। वास्ते आदेश 10/01/25 को पेश हो। 7/1/25	
10/01/25	पत्रावली वास्ते आदेश प्रस्तुत हुई। प्रकरण निम्न प्रकार है - प्रार्थी मोहनलाल द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 92A, 188 RTA प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि - - प्रार्थी खातेदारी ग्राम चन्द्रपुरा में स्थित	

	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
16/12/24	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी/प्रतिवादी अनुपस्थित/अनु. पत्रावलियों की अधिकता के कारण आज इस प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही नहीं हो सकी। पत्रावली पुनः दिनांक 18/12/24 को पेश हो।	
18/12/24	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी/प्रतिवादी अनुपस्थित/अनु. पत्रावलियों की अधिकता के कारण आज इस प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही नहीं हो सकी। पत्रावली पुनः दिनांक 2/1/25 को पेश हो।	
2/1/25	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी/प्रतिवादी अनुपस्थित/अनु. पत्रावलियों की अधिकता के कारण आज इस प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही नहीं हो सकी। पत्रावली पुनः दिनांक 7/1/25 को पेश हो।	
7/1/25	पत्रावली पेश हुई। बहस सुनी गई। वास्ते आदेश 10/01/25 को पेश हो। 7/1/25	
10/01/25	पत्रावली वास्ते आदेश प्रस्तुत हुई। प्रकरण निम्न प्रकार है - प्रार्थी मोहनलाल द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 92A, 188 RTA प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि - - प्रार्थी खातेदारी काश्तकार है ...	

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
	ख.न. 88 के गड्ढे में पानी भराव लगाने का कार्य करता है। - प्रतिवादी द्वारा वादी के कब्जे काश्त की भूमि ख.न. 88 के पूर्व में एक भूमि खरीदी है और जिस पर अपना फार्म हाउस बना रहा है। - प्रतिवादी, वादी की भूमि दबाकर 25 फिट पर कब्जा कर बाड़ लगाना चाहता है। - प्रतिवादी द्वारा जो भूमि खरीदी गई है, उससे अधिक भूमि पर उसका कोई अधिकार नहीं है। प्रार्थना:- प्रतिवादी के विरुद्ध इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री पारित की जावे कि प्रतिवादी वादी की कब्जे काश्त की भूमि ख.न. 88 के किसी भाग पर कोई कब्जा न करे, न ही वादी की भूमि के पूर्व दिशा में कोई भूमि दबाकर तारों की बाउण्ड्री या अन्य कोई अवैध कब्जा न करे। ऐसा कार्य न तो प्रतिवादी स्वयं करे, ना ही अपने किसी प्रतिनिधि या कर्मचारी से करावें। उपखण्ड अधिकारी कोटा वाद दर्ज कर प्रतिवादी को तलब किया गया। प्रतिवादी द्वारा जवाब वाद पेश	

उपखण्ड अधिकारी कोटा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए
2/	काउन्टर क्लेम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि - - वादी ने स्वयं स्वीकार किया है कि वह राज्य सरकार की आराजी पर काबिज काश्त है, परन्तु किस हैसीयत से काबिज काश्त है, यह नहीं बताया है। - वाद द्वारा चाहा गया अनुतोष (विवादित आराजी पर नाट कोशिश पर रोक) दीवानी प्रकृति का है, जिसके निस्तारण का अधिकार दीवानी न्यायालय को है। - प्रतिवादी द्वारा हस्तगत आराजी नीचे वर्णित विक्रय पत्र रजिस्ट्रेशन से 15/2/99 को क्रय की है। - प्रतिवादी की आराजी ख.नं. 57-59 रकबा 1.37 hect का 1/2 भाग जिसका उत्तरी भूमि है, और ख.नं. 59 को इंगित करता है, पर प्रतिवादी काबिज है। इस आराजी में एवं आस-पास आराजी पर आने जाने का रास्ता पर वादी कब्जा करना चाहता है। प्रार्थना - वादी का वाद खारिज किया जावे तथा	

उपखण्ड अधिकारी
को.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए
	वादी को पाबन्द किया जावे कि वह प्रतिवादी की कब्जशुदा आराजी ख.नं. 57, 58, 59 रकबा 1.37 है० को जिस भाग लिया यह प्रतिवादी काबिज है, कोई दखलअंदाजी ना करे और ना ही ऐसा स्वयं अपने किसी प्रतिनिधियों से करावे।	
	(4) वादी द्वारा प्रस्तुत शपथपत्र पर अभिभावक प्रतिवादी द्वारा लिखित की गई जो शामिल पत्रावली है। [illegible] लिखित वादी का कथन है कि - "जो दावा मैंने ख.नं. 88 का पेश किया है वह मेरी नहीं सरकार की है। मैं तो अतिक्रमी की हैसियत से सिंचाई व ज्वार भी काश्त करता हूँ। यह बात सही है कि जबसे दावा किया है, तब से यह जमीन मेरे नाम नहीं है।	
	(4) प्रकरण में बहस सुनी गई।	
	(4) हमने पत्रावली व संलग्न दस्तावेजों का आद्योपान्त अध्ययन किया तथा बहस पर मनन किया।	
उपखण्ड अधिकारी कोट		

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए
3/	उक्त समस्त परिस्थितियों में जबकि वादी द्वारा दौराने जिरह स्वयं स्वीकार किया है कि वादग्रस्त आराजी सरकारी है, तथा वह स्वयं अतिक्रमी के रूप में काबिज है तथा दूसरी ओर प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से प्रमाणित है कि उसके द्वारा भूमि खातेदारान से रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय की गई है, इस वादी का वाद खारिज कर प्रतिवादी का काउन्टर क्लेम स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाते हैं। अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 92A, 188 RTA खारिज किया जाता है तथा प्रतिवादी का काउन्टर क्लेम स्वीकार कर वादी को पाबन्द किया जाता है कि वह प्रतिवादी की क्रयशुदा आराजी ख.नं. 57,585 रकबा 1.37 Hect के 1/2 भाग पर जिस पर प्रतिवादी काबिज है, कोई दखलअंदाजी	

उपखण्ड अधिकारी कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए
	नहीं करें और ना ही ऐसा कृत्य अपने किसी प्रतिनिधि से करवाए। डिक्री पर्चा मुताबिक जारी हो। फैसला आज दिनांक 10/01/2025 को मेरे द्वारा लिखकर सुनाया गया। पत्रावली कार्यवाही मुकम्मल होकर दाखिल दफ्तर हो। 10/01/25 उपखण्ड अधिकारी कोटा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी * कोटा	